

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 196/2015

वादी :-

बनाम

प्रतिवादी :-

1. महेन्द्र पुत्र गोपरराम उर्फ
रामनिवास
2. सुरेन्द्र पुत्र गोपरराम उर्फ
रामनिवास
3. भावना पुत्री गोपरराम उर्फ
रामनिवास,
4. सुशीला पत्नि गोपरराम उर्फ
रामनिवास, जाति-कुम्हार,
निवासी- बलुन्दा
तह.-जैतारण, जिला-पाली

1. ढगला पुत्र घीसू
2. पुरखा पुत्र घीसू
3. गोरधन पुत्र घीसू
4. रूपा पुत्र घीसू वगैरह
जाति-कुम्हार, निवासी- बलुन्दा
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए'

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 13/06/2015

- उपस्थितः.
1. वादी स्वयं उपस्थित ।
 2. प्रतिवादी उपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 13/06/2015

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र - बलुन्दा पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट' में वादीगण ने एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा- बलुन्दा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 11-00 के बीघा की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में वादी का नाम घेवर पुत्र घीसू दर्ज हैं। अज्ञानतावश दस्तावेजात में घेवर पुत्र घीसू दर्ज करवा दिया था जो वादी का बोलता नाम था। जबकि वादी का वास्तविक नाम गोपरराम उर्फ रामनिवास पुत्र घीसू सही हैं। वाद-पत्र के ताईद में दस्तावेजात गोपरराम उर्फ रामनिवास पुत्र घीसू का मृत्यु प्रमाण-पत्र की छाया प्रति भी प्रस्तुत की, जिससे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम घेवर पुत्र घीसू के स्थान पर गोपरराम उर्फ रामनिवास पुत्र घीसू दर्ज किये जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। आज दिनांक 13/06/2015 को ही वादी एवं प्रतिवादीगण ने तहरीरी राजीनामा भी इसी आशय का पेश कर विवादित आराजी की भूमि में वादी का नाम वास्तविक रूप से समझाईस से आपस में राजी बाजी हो जाने तथा दर्ज गलत नाम घेवर पुत्र घीसू के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम गोपरराम उर्फ रामनिवास पुत्र घीसू दुरुस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा बाद पहिचान पृथक से राजीनामा तर्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा-ए-आम लोक अदालत शिविर- बलुन्दा में जानकारी भी प्राप्त की गई। प्रस्तुत तस्दीकसुदा राजीनामा एवं उक्त दस्तावेजात अनुसार घेवर पुत्र घीसू गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी का वास्तविक नाम गेपरराम उर्फ रामनिवास पुत्र घीसू होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक राजीनामा एवं साक्ष्य सबूत के उक्त दस्तावेजात स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम घेवर पुत्र घीसू जाति-कुम्हार निवासी-बलुन्दा के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वास्तविक सही नाम गेपरराम उर्फ रामनिवास पुत्र घीसू दुरुस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

--:: आदेश ::--

अतः माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा- बलुन्दा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 11-00 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम घेवर पुत्र घीसू के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम गेपरराम उर्फ रामनिवास पुत्र घीसू दुरुस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता है। तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।



उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज०)

निर्णय आज दिनांक 13/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र बलुन्दा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज०)

डिक्री बमुकदमें इबतदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. महेन्द्र पुत्र गेपरराम उर्फ रामनिवास		1. ढगला पुत्र घीसू
2. सुरेन्द्र पुत्र गेपरराम उर्फ रामनिवास		2. पुरखा पुत्र घीसू
3. भावना पुत्री गेपरराम उर्फ रामनिवास,		3. गोरधन पुत्र घीसू
4. सुशीला पत्नि गेपरराम उर्फ रामनिवास, जाति-कुम्हार, निवासी- बलुन्दा तह.-जैतारण, जिला-पाली		4. रूपा पुत्र घीसू वगैरह जाति-कुम्हार, निवासी- बलुन्दा तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0: 196/2015

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए'

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वारते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- बलुन्दा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 11-00 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम घेवर पुत्र घीसू के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम गेपरराम उर्फ रामनिवास पुत्र घीसू दुरुस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र बलुन्दा में आज तारीख 13/06/2015 को जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुकमनामा		
बाबत ईजराय हुकमनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।